

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2021
थाना विशारतगंज जनपद बरेली ।

थाना विशारतगंज #bareillypolice द्वारा अधिवक्ता की हत्या करने वाले नामजद अभियुक्त गुड्डू उर्फ राजवीर को किया गिरफ्तार ।

घटना क्रम – दिनांक 14.09.2021 को समय 16.30 बजे बरेली से अतरछेड़ी लौटते वक्त अधिवक्ता संजय सिंह पुत्र तिलक सिंह नि० ग्राम अतरछेड़ी थाना विशारतगंज बरेली को गिधौली रेलवे फाटक से आगे 1. मुदित प्रताप सिंह पुत्र तिलक सिंह 2. गुड्डू उर्फ राजवीर पुत्र स्व भारत सिंह 3. राहुल पुत्र गुड्डू नि०गण अतरछेड़ी थाना विशारतगंज बरेली 4. मयंक अवस्थी पुत्र राधेरमण अवस्थी नि० म०नं० 130 पंजाब पुरा थाना किला बरेली ने मिलकर थार जीप यूपी 25 डीसी 2602 से जान से मारने की नियत से टक्कर मारते हुये कुचलकर हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध मे थाना विशारतगंज पर मु०अ०सं० 149/21 धारा 302 भादवि दिनांक 14.09.2021 को पंजीकृत है, आज दिनांक 29.09.21 को थाना विशारतगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गुड्डू उर्फ राजवीर पुत्र स्व० भारत सिंह नि० अतरछेड़ी थाना विशारतगंज बरेली को राजकीय इण्टर कालिज विशारतगंज के सामने से समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- गुड्डू उर्फ राजवीर पुत्र स्व० भारत सिंह नि० अतरछेड़ी थाना विशारतगंज जनपद बरेली

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:

1. मु०अ०सं० 149/21 धारा 302 भादवि थाना विशारतगंज, बरेली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार, थाना विशारतगंज जनपद बरेली
2. उ०नि० रामस्वरूप, थाना विशारतगंज जनपद बरेली
3. का० 2900 अंकुर मलिक, थाना विशारतगंज जनपद बरेली
4. का० 2801 विजय प्रताप, थाना विशारतगंज जनपद बरेली